



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052022-236084
CG-DL-E-28052022-236084

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2287]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944

No. 2287]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

का.आ. 2413(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राष्ट्रीय राजमार्ग 765 के कि.मी. 191.0 से 206.0 आंध्र प्रदेश राज्य के नंदयाल जिले में इन्क्लूडिंग ब्रिज अक्रॉस रिवर कृष्णा तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के नंदयाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-765 के कि.मी 191.0 से 206.0 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रैभनू डिभिशनल् औफसर, आत्मकूर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH765 के कि.मी. 191 से 206 तक	आंध्र प्रदेश	नंदयाल	श्रीशैलम	
						<table><tr><td>1</td><td>लिंगलागट्टू</td></tr><tr><td>2</td><td>शिखराम</td></tr></table>
1	लिंगलागट्टू					
2	शिखराम					

[फा. सं. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-I]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

S.O. 2413(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk/Mandals and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 191.0 to km. 206.0 including Bridge across river Krishna of National Highway No. NH765 in the of Nandyal District in the state of Andhra Pradesh.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH765 from Km. 191.0 to Km. 206.0 in the District of Nandyal in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Revenue Divisional Officer, Atmakur	191KM To 206KM	ANDHRA PRADESH	Nandyal		
					Srisailam	1 Lingalagattu
						2 Shikharam

[F. No. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-I]

RAJESH GUPTA, Director